रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3607] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2019/कार्तिक 15, 1941
No. 3607] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2019/KARTIKA 15, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2019

का.आ. 4007(अ).—एक प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.3438 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 12 जुलाई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, यह तमिलनाडु जिले के रामानाथापुरम ग्राम के कांजिरंकुलम का भाग है। कांजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के रामानाथापुरम जिला में अक्षांश 9°21'उ और देशांतर 078°30' पू के बीच स्थित है और क्षेत्र 1.0421 वर्ग किलोमीटर (104.21 हेक्टेयर) में फैला हुआ है। वर्ष 1989, में कांजिरंकुलम क्षेत्र को पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, जिसका अनुमानित क्षेत्र कीला कंजिरंकुलम में 66.66 हेक्टेयर और मेला कंजिरंकुलम में 37.55 हेक्टेयर है। इसे जल निकायों में रहने वाली पक्षियों के संरक्षण के लिए तारीख 21.09.89 के सा. आ. एमएस संख्या 684 पर्यावरण और वन विभाग (एफ आर वी) के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के अर्थ और परिधि के अधीन एक अभयारण्य के रुप में अधिसूचित किया गया है और जो तारीख 28.10.89 को राजपत्र भाग II में पृष्ठ सं. 774 पर दृष्टव्य है;

और, विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी भोजन के लिए कई देशों से आते हैं। 43 प्रजातियों से संबंधित 4500 पक्षियों को व्यस्ततम अवधि के दौरान सूचीबद्ध किया गया है और महत्वपूर्ण पक्षियों में सफेद इबिस, ब्लैक इबिस, ओपन-बिल्ड स्टॉर्क, इग्रेट, मैना, टील्स, बतख, डार्टर, बगुला, पेलिकन आदि शामिल हैं। कंजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य पुष्प और जीवजंतु की विविधता के लिए सबसे बड़ा पर्यावास है और संकटापन्न प्रजातियों जैसे पेलिकन, पेंटेड स्टोर्क, यूरेशियन स्पून बिल, व्हाइट इबिस, डार्टर, फ्लेमिंगो और पानी के पक्षियों जैसे कि सामान्य कुट, पिन टेल, गर्गनी, इग्रेट, कॉर्मोरेंट, ब्लैक विंगड स्टिल्ट, किंग फिशर, सामान्य मैना, ब्राहमिनी काईट, स्पॉटेड ओवलेट आदि है;

और, अभयारण्य प्रजनन और भोजन के लिए घोंसले बनाने और भोजन आचरण में काफी विविधता के साथ शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श पर्यावास प्रदान करता है। यह दक्षिण भारत में हेरोनरी प्रजातियों और औपनिवेशिक पक्षियों प्रवासी के लिए घोंसले बनने का एक मुख्य स्थल है। अभयारण्य में पंख वाले पक्षी अक्तूबर से फरवरी तक आते है। आर्द्रभूमि गहराई में अनियमित है और यदि वर्षा सामान्य है, तो 3 से 5 महीने तक जल रूका रहता है। सफल प्रबंधन उपाय करने से विविध प्रजनन प्रजातियों और शीतकालीन प्रजातियों को विविधता में वृद्धि करने के लिए आकर्षित किया जाएगा जो बदले में अधिक पर्यटकों, पक्षीविदों और छात्रों को आकर्षित करेगा। पक्षियों को देखने के लिए अभयारण्य का दौरा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर-जनवरी है जब पक्षियों की संख्या और प्रजाति की विविधता उच्चतम होती है। अभयारण्य मूल रूप से सिंचाई टैंक है जिसका उपयोग अक्तूबर से जनवरी तक पूर्वोत्तर मानसून द्वारा रिचार्ज किए गए कृषि के लिए जल भंडारण के लिए किया जाता है। टैंक मार्च से अगस्त तक पूरी तरह सूख जाता है;

और, अभयारण्य मूल रूप से सिंचाई टैंक है, यहां अभयारण्य के अंतर्गत कोई प्राकृतिक वन नहीं है। वन विभाग द्वारा बबूल *(अकैशिया निलोटिका)* बगानों को स्थापित किया जाता है। टैंक बांध और फोरशोरे में अन्य प्रमुख वनस्पति न्यूरिवी (*आचाथेश एस्पेरा एल.*), पानाई (*बोरासस फ्लैबेलिफर एल.*), इरुक्कु (*कैलोट्रोपिस गिगांटे (एल.) आर.बीआर.*), अवराम, अवाराई (*सेन्ना ऑरिकुलटाटा (एल.) रोक्सब.*), पुलिआ मरम (*तामारिंडस इंडिका एल.*), नाई कदुगु, नाई वालाई (*क्लियोम विस्कोसा एल.*), नटवादुमई, नाट्टु बादाम *(टर्मिनलिए कटप्पा एल.)* आदि है। अभयारण्य में सिंचाई टैंक होने के कारण बहुत ही कम जीवजंतु प्रजातियां (पक्षी-जीव को छोड़कर) हैं जिसमें (एक्सेप्ट अविफना) भारतीय ग्रे नेवला *(हेरपूस्टेस इडवारदे)*, भारतीय पाम गिलहरी *(फनाम्बुलुस पल्मारूम)*, सियार (*कैनिस ऑरियस*), ब्लैक-नैपेड हेर *(लेपुस निगरिकोल्लिस)* और बैंडीकूट रैट *(बंदीकोटा बेंगालेंसिस)* आदि शामिल हैं;

और, अभयारण्य में पक्षियों, तितलियों, कीड़े, सरीसृपों और उभयचरों की विविधता है। पक्षियों का उदाहरण लिटिल ग्रेबे (*टैचिबैप्टसरूफिसोलिस*), स्पॉट-बिल पेलिकन (*पेलेकनसफिलिपेन्सिस*), लिटिल कॉर्मोरेंट (*फालाकोक्रोरैक्सिगर*), ग्रेट कॉर्मोरेंट (*फालाकोक्रोरैक्स कार्बो*), डार्टर (अनिंगा मेलानोग्स्टर) आदि है; सरीसृप के कुछ उदाहरण हाउस गेको (*हेमिडैक्टिलस फ्रैनाटस*), स्पॉटेड इंडियन गेको (*हेमिडैक्टिलस ब्रूकी*), गार्डन लिजार्ड (*कैलोट्स वर्सीकलर*), मॉनिटर छिपकली (*वाराणस बेंगलेंसिस*), सामान्य भारतीय स्किंक (*यूट्रोफिस कैरिनाटा*) आदि हैं और सामान्य भारतीय मेढ़क (*दत्ताफ्राइनस मेलेनोस्टिक्टस*), ऑर्नेट नैरोव मॉथेड मेंढक (*माइक्रोहिला ऑर्नेटे*), सामान्य स्कीटरिंग मेंढक (*यूप्लिक्टिस साइनोफ्लिक्टिस*) आदि है;

और, अभयारण्य में लुप्तप्राय प्रजातियां है जैसे स्पॉट-बिल पेलिकन (*पेलेकनस फिलिपेंसिस*), पेंटेड स्टोर्क (*माईटेरिया लियूकोसेफाला*) है। अभयारण्य में अभिलिखित दुर्लभ प्रजातियां ग्रेट कॉर्मोरेंट (*फलाक्रोकोरैक्स कार्बो*), परपल बगुला (*आर्देया सिनेरेरिया*), येलो बिटरर्न (*एलक्सोब्रिचस सीनेन्सिस*), चेस्टनट बिट्टरेम (*एलक्सोब्रिचस सिनामोमस*), ब्लैक बिटरर्न (*इप्टेर फ्लैविकोलिस*), कॉम्ब बतख (*सर्किडियोरिस मेलेनोटोस*), नार्थन शोवेलर (*अनास क्लाइपाटा*), सामान्य टील (*अबास क्रीका*) आदि हैं;

और, भू-क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि है और ग्राम की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। हालांकि, जल समस्या और सूखे की लम्बी अवधि ने ग्रामीणों को आजीविका के अन्य स्त्रोतों जैसे-पोर्टरों (कुलियों) के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। महत्त्वपूर्ण, आसपास के क्षेत्रों में जिले की रूप-रेखा के साथ प्रवासन की उच्च दर भी देखा गया है। बकरी, भेड़, गाय और कुक्कुट जैसे पशुधन पालन ग्रामों की अर्थव्यवस्था है। कृषि का समान न होने के दौरान अपनी आय को पूरक करने के लिए कुछ ग्रामीण कोयला निर्माण में भी लगे हुए है;

और, कांजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में कांजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.05 किलोमीटर से 1.30 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र कांजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है), के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कांजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य के चारों ओर 0.05 किलोमीटर से 1.30 किलोमीटर तक विस्तृत है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 3.90 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करने वाले संरक्षित क्षेत्र के मानचित्र **उपाबंध–II क-ङ** में दिए गए है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की **सारणी क्रमश: (क) और (ख)** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV**के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(1) पर्यावरण;

(2) वन और वन्यजीव;

(3) कृषि;

(4) राजस्व;

(5) नगर विकास;

(6) पर्यटन;

(7) ग्रामीण विकास;

(8) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(9) नगरपालिका;

(10) पंचायती राज;

(11) लोक निर्माण विभाग;

(12) राजमार्ग; और

(13) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

IndiaCode

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी। योजना को मानचित्रों में दिए गए विद्यमान तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग सुविधाओं के विवरण द्वारा समर्थित किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग**.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा;

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों**.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/ जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके

निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.– तमिलनाडु राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके संशोधनों के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को लागू करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम,

2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति से विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाई.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16),

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
आ. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है,

		नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
12.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
23.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों को विनियमित और निगरानी सख्ती।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
26.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
29.	पटाखे का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
30.	लकड़ी का कोयला जलाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।

Indiacode

36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति का संघटक**	**पदनाम**
1.	जिला कलेक्टर, रामनाथपुरम	अध्यक्ष;
2.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
4.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
5.	राज्य लोक निर्माण विभाग से एक प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रतिनिधि	सदस्य;
7.	वन्यजीव वार्डन, मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी, रामनाथपुरम	सदस्य-सचिव।

IndiaCode

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे अनुसूची में क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले कोई आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/12/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

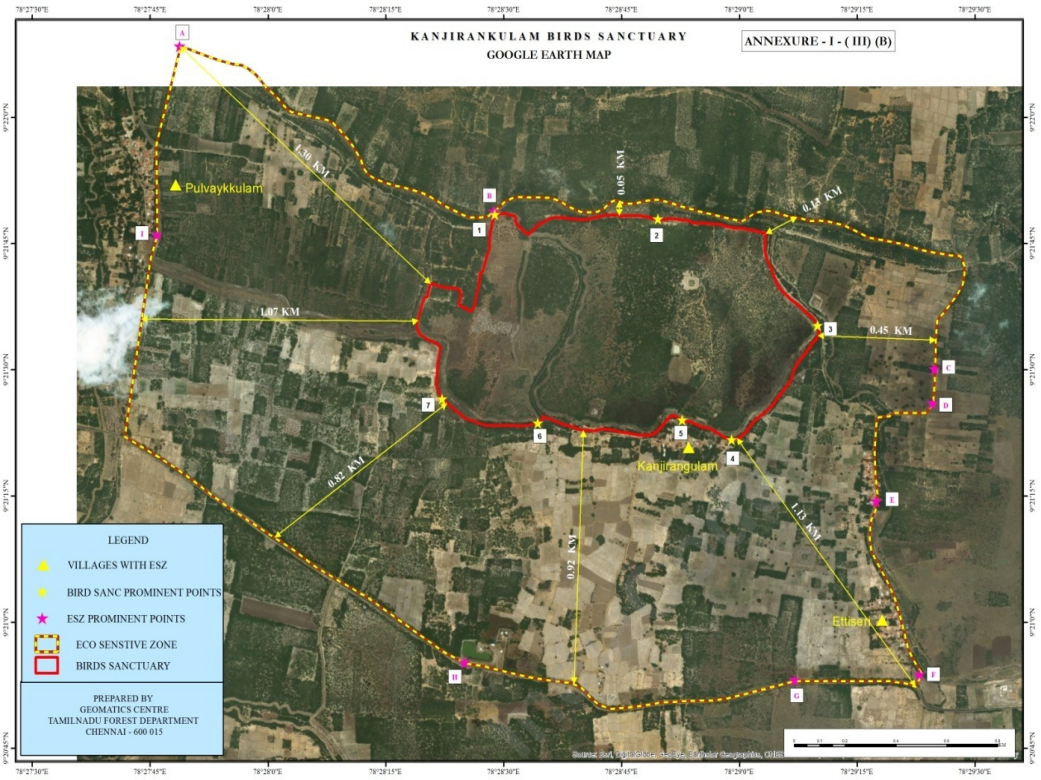
उपाबंध- I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	पुतवायकुलम कनमोई फिडर चैनल और गुंडर चैनल के अवरोधन बिंदु से आरंभ होती है। इसके बाद सीमा गुंडर चैनल के साथ पूर्वी दिशा में जाती है।
उत्तर पूर्व	सीमा गुंडर चैनल के साथ बिंदु के गुंडर चैनल की उत्तरी सीमा पर अभयारण्य के पूर्व की ओर 600 मीटर की बिंदु से मिलती है जहां चैनल पर एत्तिसेरी-कदमनगुलम ग्राम सड़क रुकती है।
पूर्व	इसके बाद एत्तिसेरी-कदमनगुलम ग्राम दृष्टिकोण सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है।
दक्षिण पूर्व	सीमा एत्तिसेरी दृष्टिकोण सड़क के साथ जाती है और मुदुकलाथुर-कमुथी सड़क पर एत्तिसेरी ग्राम दृष्टिकोण सड़क के अवरोधन बिंदु पर समाप्त होती है।
दक्षिण	सीमा पश्चिम दिशा की ओर मुदुकलाथुर-कमुथी राज्य राजमार्ग के साथ कांजिरंकुलम कनमोई के दक्षिण में जाती है।
दक्षिण पश्चिम	सीमा मुदुकलाथु-कमुथी राज्य राजमार्ग पर पुलवायकुलम ग्राम दृष्टिकोण सड़क के अवरोधन बिंदु पर मेला कांजिरंकुलम टैंक की दक्षिणी पश्चिमी सीमा से 1.20 किलोमीटर की दूरी से आरंभ होती है।.
पश्चिम	सीमा पुलवायकुलम ग्राम दृष्टिकोण सड़क के साथ उत्तर की ओर जाती है। इसके बाद पुलवायकुलम ग्राम के पूर्वी उपनगर पर पुलवायकुलम ग्राम के मुख्य सड़क के समानान्तर पुलवायकुलम कनमोई फीडर चैनल के साथ जाती है।
उत्तर पश्चिम	इसके बाद सीमा पुलवायकुलम कनमोई फीडर चैनल और गुंडर चैनल के अवरोधन बिंदु से मिलती है।

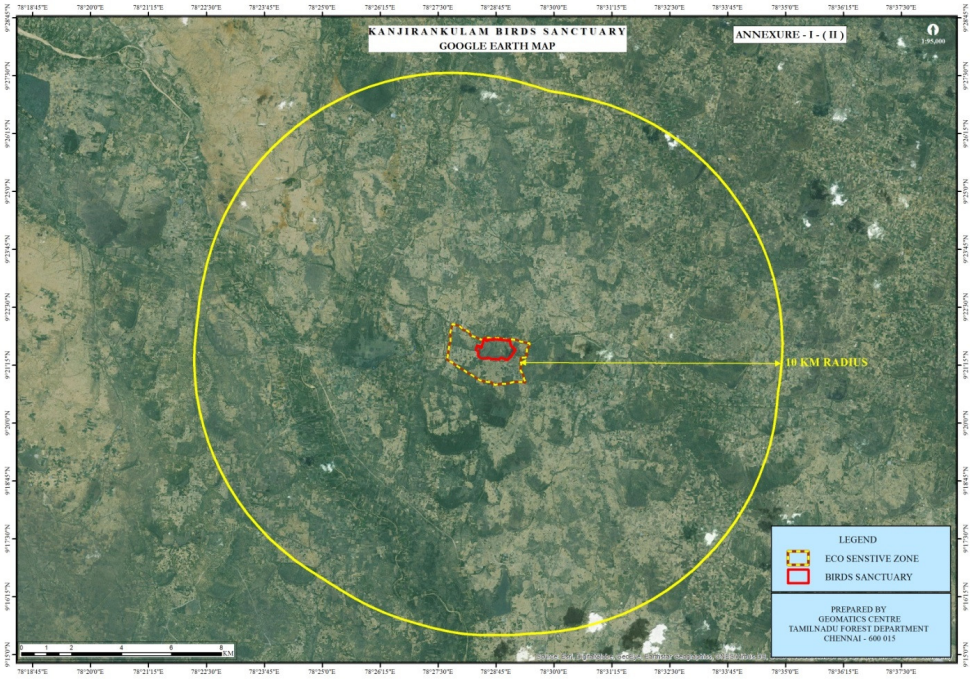
उपाबंध- I क

कांजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



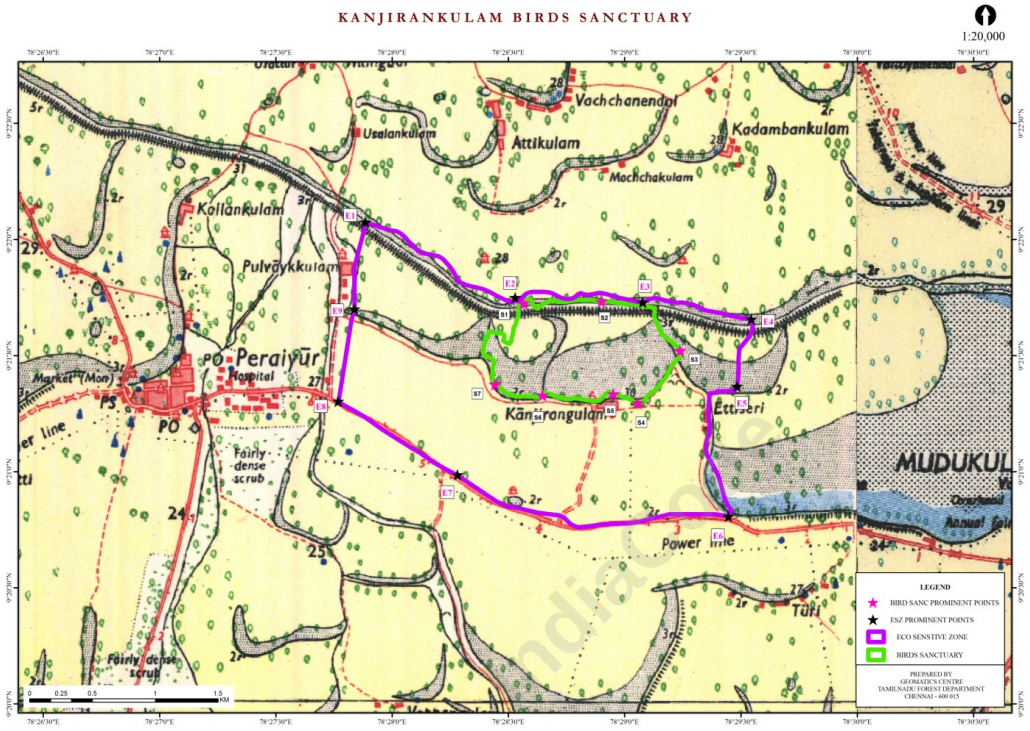
उपाबंध- I ख

कांजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



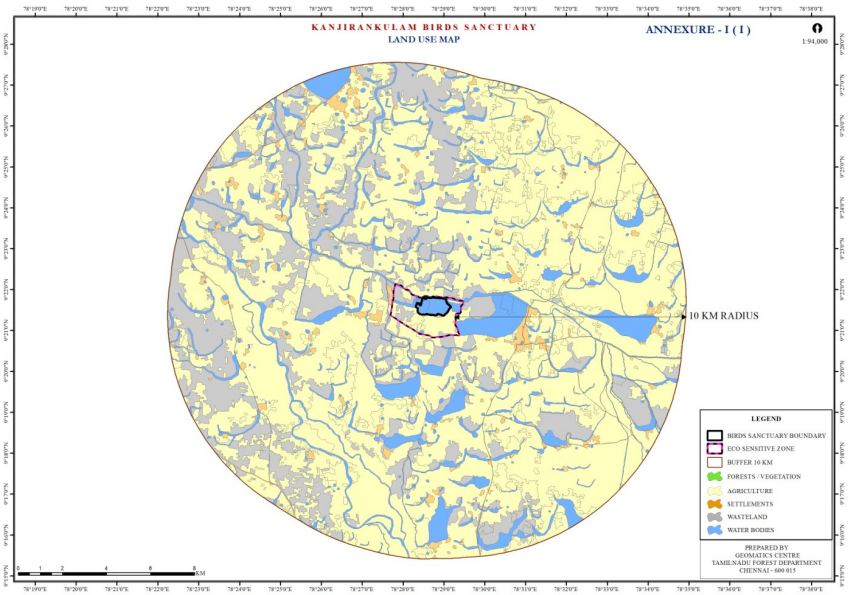
उपाबंध- IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर कांजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र



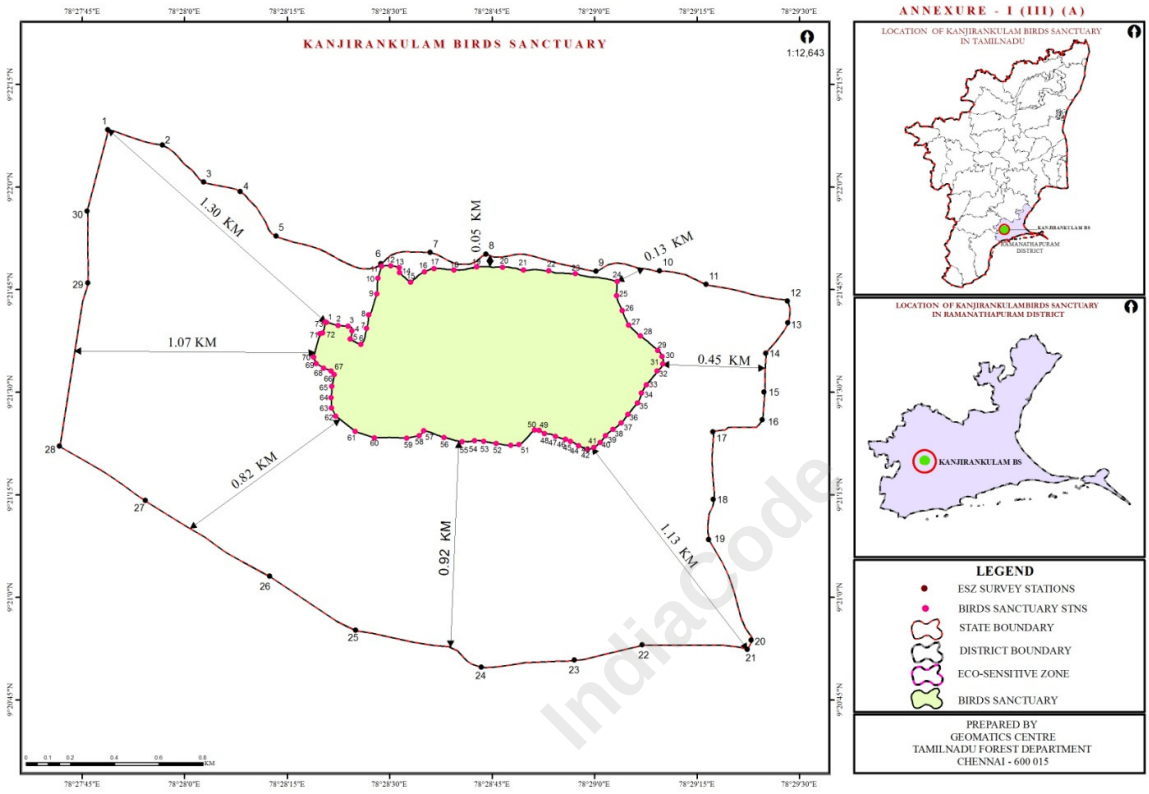
उपाबंध- IIघ

10 किलोमीटर बफर क्षेत्र के साथ कांजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र



उपाबंध- IIङ

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कांजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: कांजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

स्टेशन	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु की अवस्थिति/ दिशा	अक्षांश	देशांतर
1	1	उ प	9°21'40.2336"	78°28'20.8056"
2	2	उ प	9°21'39.798"	78°28'22.5192"
3	3	उ प	9°21'39.6612"	78°28'23.9988"
4	4	उ प	9°21'38.9952"	78°28'24.528"
5	5	उ प	9°21'37.8"	78°28'24.2868"
6	6	उ प	9°21'37.008"	78°28'25.8492"
7	7	उ प	9°21'39.3516"	78°28'26.6556"
8	8	उ प	9°21'41.364"	78°28'26.9688"

9	9	उ प	9°21'44.4132"	78°28'28.164"
10	10	उ प	9°21'46.7028"	78°28'28.362"
11	11 (S1)	उ प गुंडर चैनल से मेला-कंजीरंकुलम टैंक के इनलेट चैनल के विभाजन पर उत्तरी पश्चिमी अधिकांश बिंदु	9°21'48.4452"	78°28'28.8768"
12	12	उ	9°21'48.5244"	78°28'30.2196"
13	13	उ	9°21'48.2364"	78°28'31.44"
14	14	उ	9°21'47.5128"	78°28'31.5336"
15	15	उ	9°21'46.1052"	78°28'33.1356"
16	16	उ	9°21'47.6208"	78°28'35.148"
17	17	उ	9°21'48.114"	78°28'36.5664"
18	18	उ	9°21'47.8908"	78°28'39.486"
19	19	उ	9°21'48.3696"	78°28'42.798"
20	20	उ	9°21'48.3264"	78°28'46.5996"
21	21 (S2)	उ गुंडर चैनल पर उत्तरी बिंदु	9°21'47.8836"	78°28'49.6416"
22	22	उ	9°21'47.7648"	78°28'53.346"
23	23	उ	9°21'47.3616"	78°28'57.2412"
24	24	उ पू	9°21'46.2276"	78°29'3.3612"
25	25	उ पू	9°21'44.1468"	78°29'3.2568"
26	26	उ पू	9°21'41.9616"	78°29'4.1028"
27	27	पू	9°21'39.816"	78°29'5.0712"
28	28	पू	9°21'38.25"	78°29'6.7704"
29	29	पू	9°21'36.144"	78°29'9.33"
30	30 (S3)	पू कांजिरंकुलम टैंक का पूर्वी बांध	9°21'35.244"	78°29'9.9456"
31	31	पू	9°21'34.1604"	78°29'10.0284"
32	32	पू	9°21'33.1308"	78°29'9.2004"

IndiaCode

33	33	पू	9°21'31.122"	78°29'7.6596"
34	34	पू	9°21'29.9052"	78°29'6.918"
35	35	पू	9°21'28.4652"	78°29'6.3456"
36	36	पू	9°21'26.7768"	78°29'4.9236"
37	37	पू	9°21'25.5528"	78°29'3.9408"
38	38	द पू	9°21'24.5772"	78°29'2.742"
39	39	द पू	9°21'23.688"	78°29'1.662"
40	40	द पू	9°21'22.6656"	78°29'0.8736"
41	41	द पू	9°21'21.96"	78°28'59.9772"
42	42 (S4)	द पू कांजिरंकुलम के बांध पर दक्षिण पूर्वी अधिकांश बिंदु	9°21'21.6648"	78°28'59.0232"
43	43	द पू	9°21'22.2192"	78°28'57.72"
44	44	द	9°21'22.8564"	78°28'56.5464"
45	45	द	9°21'23.1408"	78°28'55.812"
46	46	द	9°21'23.5872"	78°28'54.3324"
47	47 (S5)	द टैंक बांध पर दक्षिणी सीमा बिंदु	9°21'23.9868"	78°28'52.7304"
48	48	द	9°21'24.4512"	78°28'51.9312"
49	49	द	9°21'24.4872"	78°28'51.294"
50	50	द	9°21'22.3488"	78°28'49.0008"
51	51	द	9°21'22.2444"	78°28'47.802"
52	52	द	9°21'22.5144"	78°28'45.6636"
53	53	द	9°21'22.842"	78°28'43.8312"
54	54	द	9°21'22.9572"	78°28'42.4884"
55	55	द	9°21'22.7952"	78°28'40.6452"
56	56	द	9°21'23.3892"	78°28'38.028"
57	57	द	9°21'24.4116"	78°28'35.0328"
58	58 (S6)	द	9°21'23.6448"	78°28'34.3704"

IndiaCode

		मेला-कंजिरंकुलम और कीला - कंजिरंकुलम टैंक के बांध पर प्रतिच्छेदन बिंदु		
59	59	द प	9°21'23.3244"	78°28'32.5704"
60	60	द प	9°21'23.3676"	78°28'27.8112"
61	61	द प	9°21'24.2784"	78°28'25.0356"
62	62 (S7)	द प मेला-कंजिरंकुलम टैंक के बांध पर दक्षिण पश्चिमी अधिकांश बिंदु	9°21'26.5032"	78°28'22.1736"
63	63	प	9°21'27.7128"	78°28'21.5292"
64	64	प	9°21'29.2536"	78°28'21.4932"
65	65	प	9°21'30.9024"	78°28'21.5976"
66	66	प	9°21'32.5836"	78°28'21.9396"
67	67	प	9°21'33.1308"	78°28'21.4788"
68	68	प	9°21'33.5556"	78°28'20.3916"
69	69	प	9°21'34.2288"	78°28'19.3116"
70	70	प	9°21'35.136"	78°28'18.9156"
71	71	प	9°21'38.5632"	78°28'19.884"
72	72	प	9°21'38.6748"	78°28'20.226"
73	73	प	9°21'40.2804"	78°28'20.5788"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	प्रमुख बिंदु के अवस्थिति/दिशा	अक्षांश	देशांतर
1	1 (ई 1)	उ प गुंडर चैनल पर पुलवयकुलम टैंक के उत्तरी बिंदु	78°27'48.7692"	9°22'8.4468"
2	2	उ प	78°27'56.79"	9°22'6.114"
3	3	उ	78°29'16.7532"	9°21'7.2288"
4	4	उ	78°29'22.9632"	9°22'4.4328"

IndiaCode

5	5	उ	78°29'22.3908"	9°20'52.404"
6	6 (ई 2)	उ गुंडर चैनल के पास मेला-कंजिरंकुलम टैंक में इनलेट बिंदु	78°29'7.0476"	9°20'53.0988"
7	7	उ	78°28'2.82"	9°22'4.4328"
8	8	उ	78°28'57.0936"	9°20'50.8632"
9	9 (ई 3)	उ कंजिरंकुलम अभयारण्य की उत्तर पूर्वी सीमा के पास गुंडर चैनल पर बिंदु	78°28'43.4532"	9°20'49.8228"
10	10	उ	78°28'8.1876"	9°22'4.4328"
11	11	उ	78°28'25.0536"	9°20'55.212"
12	12 (ई 4)	उ पू एत्तिसेरी- कदंबंगुलम के साथ गुंडर चैनल का चौराहे बिंदु का दृष्टिकोण सड़क	78°28'13.3968"	9°22'4.4328"
13	13	उ पू	78°28'12.4716"	9°21'3.1248"
14	14	उ पू	78°28'28.7616"	9°22'4.4328"
15	15	पू	78°27'54.2916"	9°21'14.1984"
16	16 (ई 5)	पू एत्तिसरी - कदंबंगुलम दृष्टिकोण सड़क	78°28'36.0048"	9°22'4.4328"
17	17	पू	78°27'41.7132"	9°21'22.1364"
18	18	पू	78°27'45.864"	9°21'46.0008"
19	19	पू	78°28'44.1732"	9°22'4.4328"
20	20	द पू	78°27'45.7668"	9°21'56.5092"
21	21 (ई 6)	द पू एत्तिसरी - कदंबंगुलम पर प्रतिच्छेदन दृष्टिकोण सड़क मुदुकालाथुर - कामुथी राजमार्ग	78°29'0.2796"	9°22'4.4328"
22	22	द	78°29'9.5676"	9°21'59.0472"
23	23	द	78°29'16.3824"	9°22'4.4328"
24	24	द	78°29'28.3092"	9°21'43.362"
25	25	द	78°29'28.3272"	9°21'43.362"

IndiaCode

26	26 (ई 7)	द मुथुकलाथुर - कामुथी राजमार्ग	78°29'25.1088"	9°21'35.748"
27	27	द प	78°29'24.8388"	9°21'43.362"
28	28 (ई 8)	द प मुथुकलाथुर - कामुथी रोड पर पुलवेकुलम दृष्टिकोण मार्ग का चौराहे बिंदु	78°29'24.612"	9°21'26.0028"
29	29 (ई 9)	प पुलवेकुलम टैंक के पश्चिमी बांध पर बिंदु	78°29'17.394"	9°22'4.4328"
30	30	प	78°29'17.448"	9°22'4.4328"

उपाबंध -IV

भू-निर्देशांकों के साथ कांजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थिति की संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	**ग्राम का नाम**	**तहसील/तालुक**	**जिला**	**अक्षांश (डीएमएस प्रारूप)**	**देशांतर (डीएमएस प्रारूप)**
1	कांजिरंकुलम	मुदुकलाथुर	रामानाथापुरम	9°21'21.49"	78°28'51.92"
2	एत्तिसरी	मुदुकलाथुर	रामानाथापुरम	9°21'0.26"	78°29'18.88"
3	पुलवयकुलम	मुदुकलाथुर	रामानाथापुरम	9°21'54.35"	78°27'44.38"

IndiaCode

उपाबंध -V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2019

S.O. 4007(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3438(E) dated the 12th July, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 12th July 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, It is a part of Kanjirankulam Village of Ramanathapuram District of Tamil Nadu. The Kanjirankulam Birds Sanctuary lies between Latitude 9°21'N and 078°30'E Longitude in the Ramanathapuram District of Tamil Nadu and extends over an area of 1.0421sq. km. (104.21 ha). The Kanjirankulam area was declared as a bird sanctuary in the year 1989, with an estimated area of 66.66 Ha in Keela Kanjirankulam and 37.55 Ha in Mela Kanjirankulam. It is notified as a sanctuary within the meaning and scope of *Section 18 (1) of Wildlife Protection Act 1972,* through the G.O Ms. No 684, Environment and Forest Department (FRV) dated 21.09.89 and appeared in the Gazette Part II on Page No. 774 on 28.10.89 for the conservation of avian fauna that inhabit the water body;

AND WHEREAS, many of the different varieties of migratory birds arrive from various parts of countries for feeding purpose. About 4500 birds belonging to 43 species have been listed during the peak season and the important birds include, white ibis, black ibis, open-billed stork, egrets, mynas, teals, ducks, darters, herons, pelicans etc. The Kanjirankulam Bird Sanctuary is biggest resident for variety of floral and faunal diversity and has species richness of nearly threatened species such as Pelican, Painted stork, Eurasian Spoon bill, White ibis, Darter, Flamingo and water birds such as common coot, Pin tail, Garganey, Egrets, Cormorants, Black winged stilt, King fisher, Common myna, Brahminy kite, Spotted Owlet etc.;

AND WHEREAS, the sanctuary offers ideal habitat for winter migratory birds with considerable diversity in nesting and feeding behaviour for breeding and feeding. It is one of the preferred nesting sites for heronry species and colonial birds migrating to South India. The feathered visitors flock the sanctuary from October to February. The wetland is irregular in depth and retains water for 3 to 5 months, if rain is normal. Envisaging successful management measures will attract more breeding species and wintering species to enhance the diversity which in turn will attract more tourists, birdwatchers and students. The best time to visit the sanctuary for bird watching is November-January when bird population and species diversity is at the highest. The sanctuary is basically an irrigation tank that is used for storing water for agriculture recharged by the northeast monsoons from October till January. The tank remains completely dry from March to August;

AND WHEREAS, as the sanctuary is basically an irrigation tank, there is no natural forest within the sanctuary. Babul (*Acacia nilotica)* plantations were raised by the Forest Department. The other major flora in the tank bunds and foreshore are Nayurivi *(Achyranthes aspera* L.), Panai *(Borassus flabellifer* L.), Erukku *(Calotropis gigantea* (L.) R.Br.), Avaram, Avaarai *(Senna auriculata* (L.) Roxb.), Puliya maram *(Tamarindus indica* L.), Nai kadugu, Nai vaelai *(Cleome viscosa* L.), Natvadumai, Naattu badaam *(Terminalia catappa* L.) etc. The sanctuary being an irrigation tank has very less faunal species (except Avifauna) such as Indian grey mongoose *(Herpestes edwardsii)*, Indian palm squirrel *(Funambulus palmarum)*, Jackal *(Canis aureus)*, Black-naped Hare *(Lepus nigricollis)* and Bandicoot rat *(Bandicota bengalensis)* etc.;

AND WHEREAS, the sanctuary has variety of birds, butterflies, insects, reptiles and amphibians. Example of birds are Little grebe *(Tachybaptusruficollis),* Spot-billed pelican *(Pelecanusphilippensis),* Little cormorant *(Phalacrocoraxniger),* Great cormorant *(Phalacrocoraxcarbo),* Darter *(Anhinga melanogaster)* etc; some examples of reptiles are House gecko *(Hemidactylus frenatus),* Spotted indian gecko *(Hemidactylus brookii),* Garden lizard *(Calotes versicolor),* Monitor lizard *(Varanus bengalensis),* Common indian skink*(Eutrophis carinata)* etc. and Common indian toad *(Duttaphrynus melanostictus),* Ornate narrow mouthed frog *(Microhyla ornate),*Common skittering frog *(Euphlyctis cyanophlyctis)* etc.;

AND WHEREAS, the sanctuary has threatened species for example Spot-billed pelican *(Pelecanus philippensis),* Painted stork *(Mycteria leucocephala).* The rare species recorded in the sanctuary are Great cormorant *(Phalacrocorax carbo),* Purple heron *(Ardea cinerea),* Yellow bittern *(Lxobrychus sinensis),* Chestnut bittrem *(Lxobrychus cinnamomeus),* Black bittern *(Dupetor flavicollis),* Comb duck *(Sarkidiornis melanotos),* Northern shoveller *(Anas clypeata),*Common teal *(Abas crecca)*etc.;

AND WHEREAS, the landscape is mainly agrarian and the economy of the village is primarily dependent on agriculture. However, water stress and prolonged periods of drought has driven the villagers to pursue other sources of livelihood like working as porters (coolies). As a consequence, a high rate of migration has also been observed in the surrounding areas in tune with the profile of the district. Livestock rearing such as goats, sheep, cow and poultry also supports the economy of the village. Few villagers are also engaged in manufacturing charcoal to supplement their income during the lean season of agriculture.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Kanjirankulam Bird Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 0.05 kilometres to 1.30 kilometres around the boundary of Kanjirankulam Bird Sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Kanjirankulam Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone**. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0.05 kilometers to 1.30 kilometers around the Kanjirankulam Bird Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is 3.90 square kilometers.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I.**

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure IIA-E.**

(4)List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III Tables (A) and (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:

(1) Environment;

(2) Forest and Wildlife;

(3) Agriculture;

(4) Revenue ;

(5) Urban Development;

(6) Tourism;

(7) Rural Development;

(8) Irrigation and Flood Control;

(9) Municipal;

(10) Panchayati Raj;

(11) Public Works Department;

(12) Highways; and

(13) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities;

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given in paragraph 4;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.—The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3)Tourism/Eco-tourism.—(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or up to the extent of the ESZ whichever is nearer.

However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.—**Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

IndiaCode

(6) **Noise pollution.—**The Environment Department of the State Government or Tamil Nadu State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air pollution.—**Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.—**Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made there under or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes.—**Disposal and Management of solid wastes shall be as under:

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.—**Bio-medical waste management shall be as under:

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification Number GSR 343 (E), dated the 28th March,2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.—**The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.—**The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**.**—**The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic.—**The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made there under.

(15) **Vehicular Pollution.—**Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.—**(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(ii) only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone:

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. **Prohibited Activities**		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining(minor and major minerals) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad vs.. UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation z. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area .	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Establishment of large scale commercial live stock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
15.	Infrastructure civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of Fire Crackers.	Regulated under applicable laws.
30.	Charcoal Burning.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including	Shall be actively promoted.

MediaCode

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	village artisans, etc.	
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc to be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitats.	Shall be actively promoted.
40.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), comprising of the following consisting of not more than ten members namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	The District Collector, Ramanathapuram	Chairman;
2.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
3.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
4.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
5.	A representative from State Public Works Department	Member;
6.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
7.	Wildlife Warden, Gulf of Mannar Marine National Park, Ramanathapuram	Member-Secretary.

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and

are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/12/2018-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

IndiaCode

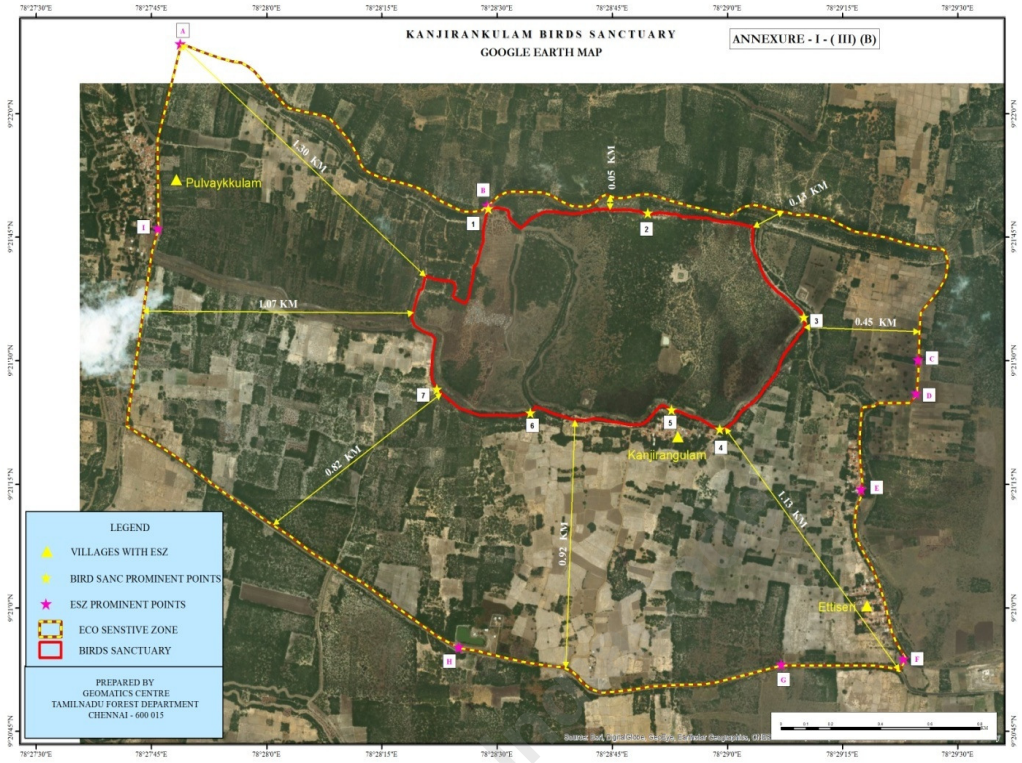
ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	Starts from the interception point of Pulvaykulam Kanmoi feeder channel and Gundar Channel. Thence the boundary travels in eastern direction along the Gundar Channel.
North East	The boundary along the Gundar Channel meets a point at distance of 600 mts eastward of the sanctuary on the northern margin of Gundar Channel at a point where Ettiseri – Kadamangulam village road intercepts on the channel.
East	Thence travels southwards along the Ettiseri – Kadamangulam village approach road.
South East	The boundary travels along the Ettiseri village approach road and ends at a point of interception of Ettiseri village approach road on the Mudukalathur – Kamuthi road.
South	The boundary travels south of Kanjirankulam Kanmoi along the Mudukalathur – Kamuthi state high way in westward direction.
South West	The boundary starts at a distance of 1.20 Km. from the southern western boundary of Mela Kanjirankulam Tank on a point of interception of Pulvaykulam village approach road on Mudukalathur – Kamuthi state highway.
West	The boundary travels northwards along Pulvaykulam village approach road. Thence runs along the Pulvaykulam Kanmoi feeder channel running parallel to Pulvaykulam village main road on eastern periphery of Pulvaykulam village.
North West	Thence the boundary meets the interception point of Pulvaykulam Kanmoi feeder channel and Gundar Channel.

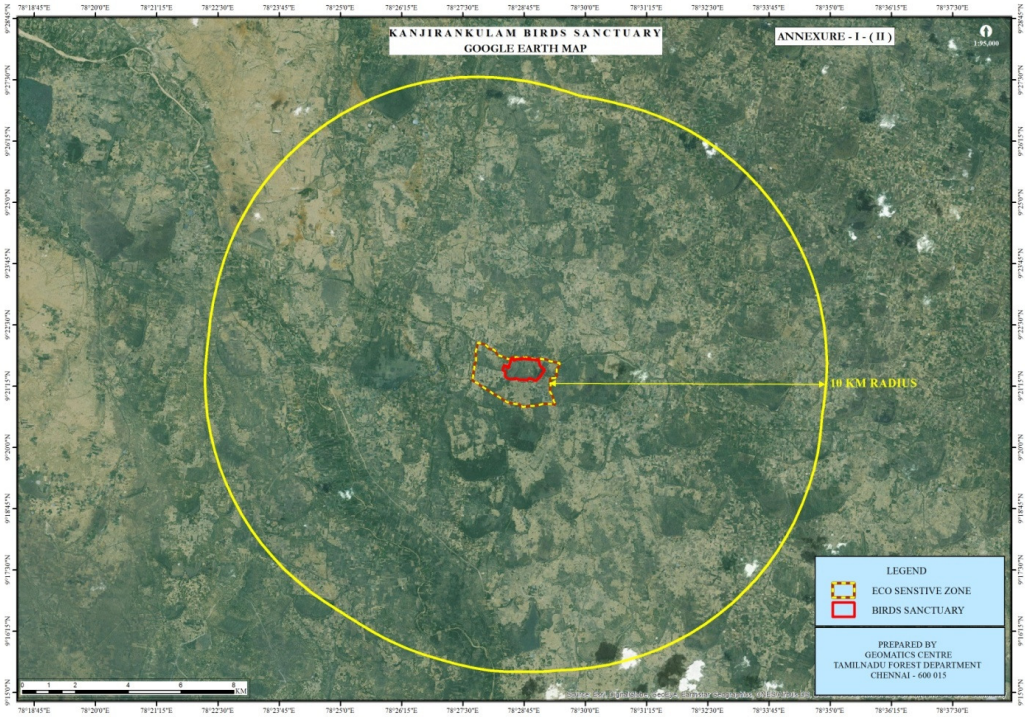
ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KANJIRANKULAM BIRD SANCTUARY



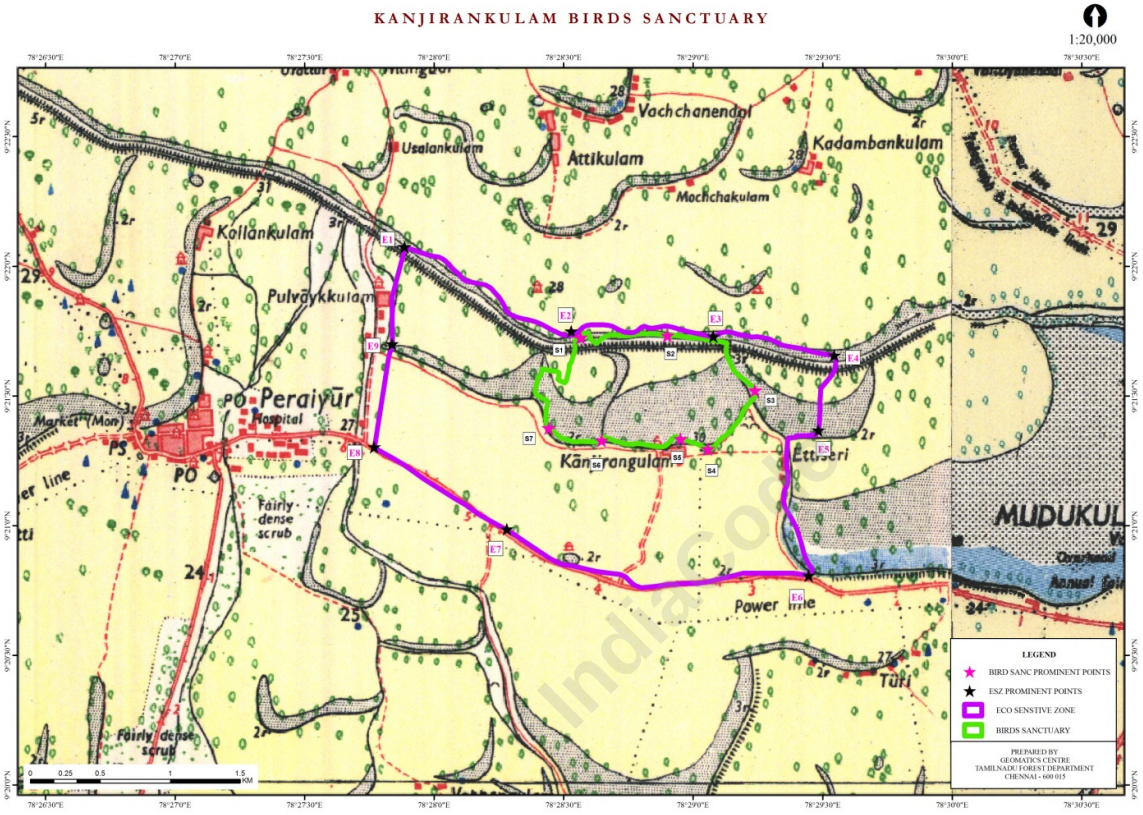
ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KANJIRANKULAM BIRD SANCTUARY



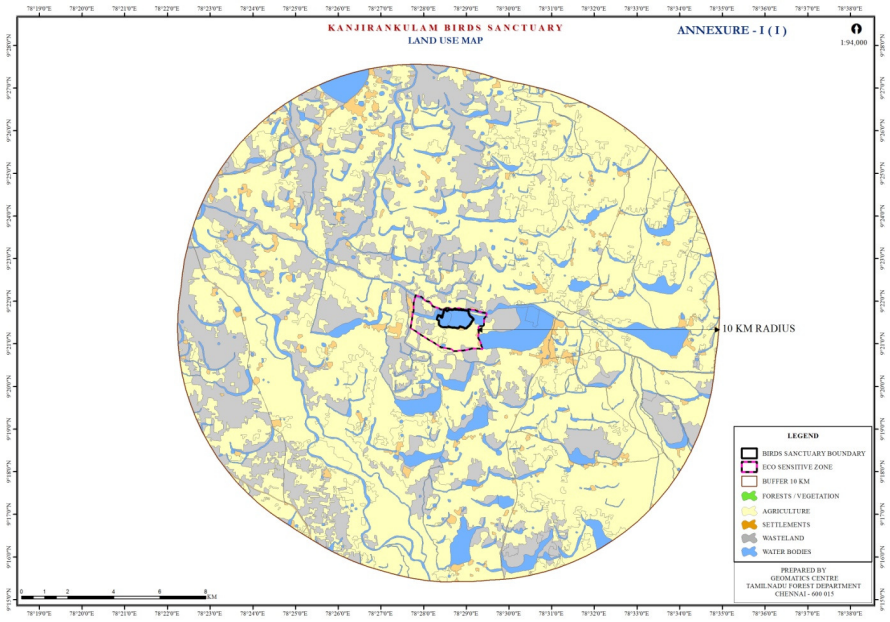
ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KANJIRANKULAM BIRD SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



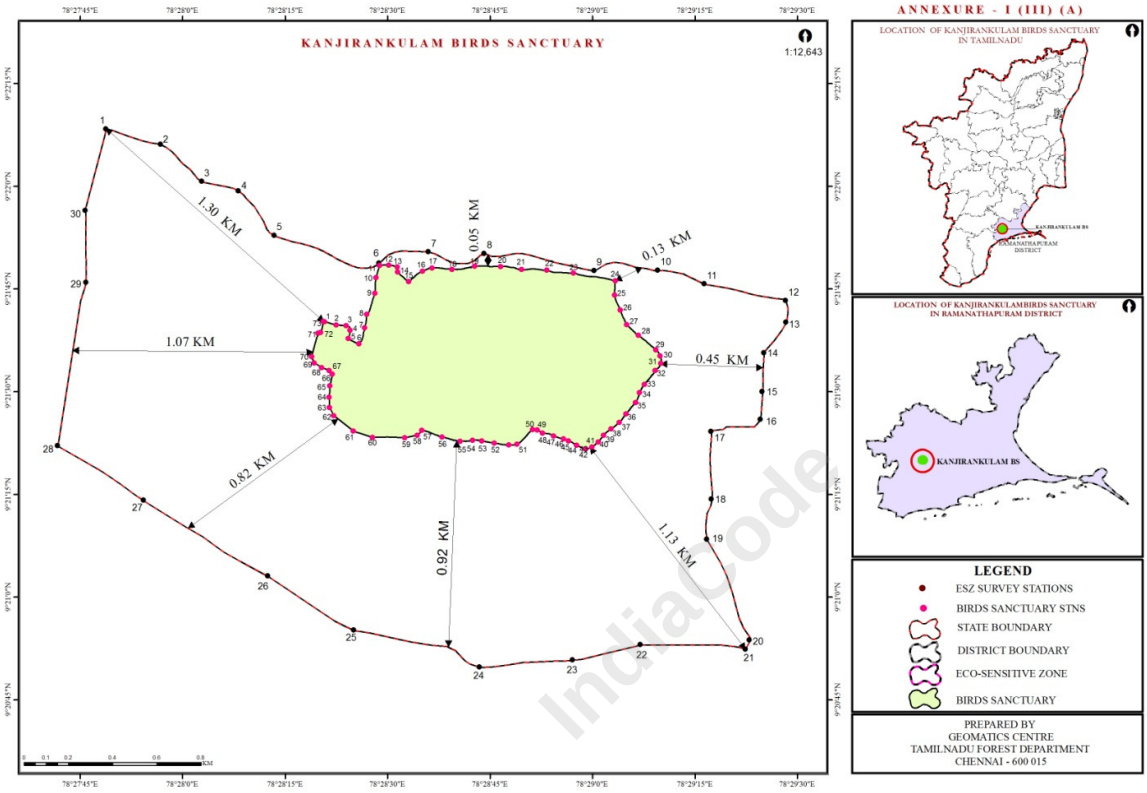
ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE KANJIRANKULAM BIRD SANCTUARY ALONG WITH 10 KM BUFFER



ANNEXURE- IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KANJIRANKULAM BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Kanjirankulam Bird Sanctuary, Tamil Nadu

Stations	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Latitude	Longitude
1	1	NW	9°21'40.2336"	78°28'20.8056"
2	2	NW	9°21'39.798"	78°28'22.5192"
3	3	NW	9°21'39.6612"	78°28'23.9988"
4	4	NW	9°21'38.9952"	78°28'24.528"
5	5	NW	9°21'37.8"	78°28'24.2868"
6	6	NW	9°21'37.008"	78°28'25.8492"
7	7	NW	9°21'39.3516"	78°28'26.6556"
8	8	NW	9°21'41.364"	78°28'26.9688"
9	9	NW	9°21'44.4132"	78°28'28.164"
10	10	NW	9°21'46.7028"	78°28'28.362"

11	11 (S1)	NW North western most point at the bifurcation of inlet channel of Mela-kanjirankulam tank from Gundar channel	9°21'48.4452"	78°28'28.8768"
12	12	N	9°21'48.5244"	78°28'30.2196"
13	13	N	9°21'48.2364"	78°28'31.44"
14	14	N	9°21'47.5128"	78°28'31.5336"
15	15	N	9°21'46.1052"	78°28'33.1356"
16	16	N	9°21'47.6208"	78°28'35.148"
17	17	N	9°21'48.114"	78°28'36.5664"
18	18	N	9°21'47.8908"	78°28'39.486"
19	19	N	9°21'48.3696"	78°28'42.798"
20	20	N	9°21'48.3264"	78°28'46.5996"
21	21 (S2)	N Northern point on the gundar channel	9°21'47.8836"	78°28'49.6416"
22	22	N	9°21'47.7648"	78°28'53.346"
23	23	N	9°21'47.3616"	78°28'57.2412"
24	24	NE	9°21'46.2276"	78°29'3.3612"
25	25	NE	9°21'44.1468"	78°29'3.2568"
26	26	NE	9°21'41.9616"	78°29'4.1028"
27	27	E	9°21'39.816"	78°29'5.0712"
28	28	E	9°21'38.25"	78°29'6.7704"
29	29	E	9°21'36.144"	78°29'9.33"
30	30 (S3)	E Eastern bund of the Kanjirankulam tank	9°21'35.244"	78°29'9.9456"
31	31	E	9°21'34.1604"	78°29'10.0284"
32	32	E	9°21'33.1308"	78°29'9.2004"
33	33	E	9°21'31.122"	78°29'7.6596"
34	34	E	9°21'29.9052"	78°29'6.918"
35	35	E	9°21'28.4652"	78°29'6.3456"
36	36	E	9°21'26.7768"	78°29'4.9236"
37	37	E	9°21'25.5528"	78°29'3.9408"

IndiaCode

38	38	SE	9°21'24.5772"	78°29'2.742"
39	39	SE	9°21'23.688"	78°29'1.662"
40	40	SE	9°21'22.6656"	78°29'0.8736"
41	41	SE	9°21'21.96"	78°28'59.9772"
42	42 (S4)	SE South Eastern most point on bund of kanjirankulam tank	9°21'21.6648"	78°28'59.0232"
43	43	SE	9°21'22.2192"	78°28'57.72"
44	44	S	9°21'22.8564"	78°28'56.5464"
45	45	S	9°21'23.1408"	78°28'55.812"
46	46	S	9°21'23.5872"	78°28'54.3324"
47	47 (S5)	S Point on the Southern boundary on the tank bund	9°21'23.9868"	78°28'52.7304"
48	48	S	9°21'24.4512"	78°28'51.9312"
49	49	S	9°21'24.4872"	78°28'51.294"
50	50	S	9°21'22.3488"	78°28'49.0008"
51	51	S	9°21'22.2444"	78°28'47.802"
52	52	S	9°21'22.5144"	78°28'45.6636"
53	53	S	9°21'22.842"	78°28'43.8312"
54	54	S	9°21'22.9572"	78°28'42.4884"
55	55	S	9°21'22.7952"	78°28'40.6452"
56	56	S	9°21'23.3892"	78°28'38.028"
57	57	S	9°21'24.4116"	78°28'35.0328"
58	58 (S6)	S Intersection point on the bund of Mela-Kanjirankulam and Keela - Kanjirankulam tank	9°21'23.6448"	78°28'34.3704"
59	59	SW	9°21'23.3244"	78°28'32.5704"
60	60	SW	9°21'23.3676"	78°28'27.8112"
61	61	SW	9°21'24.2784"	78°28'25.0356"
62	62 (S7)	SW South western most point on the bund of Mela-Kanjirankulam tank	9°21'26.5032"	78°28'22.1736"
63	63	W	9°21'27.7128"	78°28'21.5292"

IndiaCode

64	64	W	9°21'29.2536"	78°28'21.4932"
65	65	W	9°21'30.9024"	78°28'21.5976"
66	66	W	9°21'32.5836"	78°28'21.9396"
67	67	W	9°21'33.1308"	78°28'21.4788"
68	68	W	9°21'33.5556"	78°28'20.3916"
69	69	W	9°21'34.2288"	78°28'19.3116"
70	70	W	9°21'35.136"	78°28'18.9156"
71	71	W	9°21'38.5632"	78°28'19.884"
72	72	W	9°21'38.6748"	78°28'20.226"
73	73	W	9°21'40.2804"	78°28'20.5788"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S. No.	Identification of prominent points	Location / Direction of Prominent Point	Longitude	Latitude
1	1 (E1)	NW Point north of Pulvaykulam tank on Gundar channel	78°27'48.7692"	9°22'8.4468"
2	2	NW	78°27'56.79"	9°22'6.114"
3	3	N	78°29'16.7532"	9°21'7.2288"
4	4	N	78°29'22.9632"	9°22'4.4328"
5	5	N	78°29'22.3908"	9°20'52.404"
6	6 (E2)	N Point on Gundar channel near inlet to Mela-Kanjirankulam tank	78°29'7.0476"	9°20'53.0988"
7	7	N	78°28'2.82"	9°22'4.4328"
8	8	N	78°28'57.0936"	9°20'50.8632"
9	9 (E3)	N Point on Gundar channel near the north eastern boundary of Kanjirankulam sanctuary	78°28'43.4532"	9°20'49.8228"
10	10	N	78°28'8.1876"	9°22'4.4328"
11	11	N	78°28'25.0536"	9°20'55.212"
12	12 (E4)	NE Intersection point of Gundar Channel with Ettiseri - Kadambangulam approach road	78°28'13.3968"	9°22'4.4328"
13	13	NE	78°28'12.4716"	9°21'3.1248"
14	14	NE	78°28'28.7616"	9°22'4.4328"

IndiaCode

15	15	E	78°27'54.2916"	9°21'14.1984"
16	16 (E5)	E Ettiseri - Kadambangulam approach road	78°28'36.0048"	9°22'4.4328"
17	17	E	78°27'41.7132"	9°21'22.1364"
18	18	E	78°27'45.864"	9°21'46.0008"
19	19	E	78°28'44.1732"	9°22'4.4328"
20	20	SE	78°27'45.7668"	9°21'56.5092"
21	21 (E6)	SE Intersection of Ettiseri - Kadambangulam approach road on Muthukalathur - Kamuthi highway	78°29'0.2796"	9°22'4.4328"
22	22	S	78°29'9.5676"	9°21'59.0472"
23	23	S	78°29'16.3824"	9°22'4.4328"
24	24	S	78°29'28.3092"	9°21'43.362"
25	25	S	78°29'28.3272"	9°21'43.362"
26	26 (E7)	S Muthukalathur - Kamuthi highway	78°29'25.1088"	9°21'35.748"
27	27	SW	78°29'24.8388"	9°21'43.362"
28	28 (E8)	SW Intersection point of Pulvaykulam approach road on Muthukalathur - Kamuthi road	78°29'24.612"	9°21'26.0028"
29	29 (E9)	W Point on the western bund of Pulvaykulam tank	78°29'17.394"	9°22'4.4328"
30	30	W	78°29'17.448"	9°22'4.4328"

IndiaCode

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KANJIRANKULAM BIRD SANCTUARYALONG WITH GEO-COORDINATE

S. No	Village Name	Tehsil/ Taluk	District	Latitude (DMS format)	Longitude (DMS format)
1	Kanjirankulam	Mudukalathur	Ramanathapuram	9°21'21.49"	78°28'51.92"
2	Ettiseri	Mudukalathur	Ramanathapuram	9°21'0.26"	78°29'18.88"
3	Pulvaykulam	Mudukalathur	Ramanathapuram	9°21'54.35"	78°27'44.38"

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention no teworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.07 18:29:23 +05'30'